आदेश

राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रामण कॉल के संक्षेप में समय-समय पर कोरोना संक्रामण से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर एडवायजरी जारी की है। सरकार की प्राथमिकता इस संक्रमण से प्रभावित नागरिकों की मृत्यु को रोकना है। कई रोगियों एवं राज्य सरकार पर गहरी ध्येयहेतु परिषेषणों के एडवायजरी कमेटी से वर्तमान के उपरांत यह संज्ञा में आया है कि सामान्य व्यक्ति के राय में राय में निर्देश के समय स्वस्थ रहने और अन्य Physiological चिकित्साओं के कारण अस्तित्व में ना होती है।

चूँकि कोरोना संक्रमण कर्मियों का स्वस्थ रहने तंत्र इस बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है एवं इसके स्वास्थ्य बलों में कमीशन में हो जाता है। इस भीमारी में कर्मचारी अस्तित्व जीवन से अधिकतर चिकित्सालय सटर पर अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति का अस्तित्व होता है। प्रदेश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्युओं की संख्या को न्यूनतम रखने व इस संक्रमण से प्रभावित रोगियों की जीवन को बचाने हेतु यह आदेश है कि इन मृत्युओं को रोकने के लिए, राय में समय मरीजों के अक्षेत्रों सेवासेवा का निम्नतम हो। राज्य के दौरान बार घटियों में एक बार सेवासेवा की निम्नतम हो जाने के लिए लेखन राय में हर दो घटियों में एक बार निर्देश की जानें चाहिए। यदि मरीज में अस्तित्व में सटर में ग्राहक देखी जायें तो रोगी को जनाया जायें और उसके आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जायें। उनके साथ ही कोविड-19 के रोगियों में रायकालिया गर्मियों का रोकने हेतु सटर के समय भारी आहार देना, अधिक वातावरण करना, स्वास्थ्य कार्यालय भी टूला बनाए चाहिए।

कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए समस्त चिकित्सक तथा नर्तक कार्यालयों का उपरोक्त विषय के संबंध में प्रशिक्षित किया जायें। उनके क्रम में निर्देशित किए जाते हैं कि कोविड-19 मरीजों की स्वास्थ्य सेवा देने की जायें और आवश्यक उपचार का उन्नत प्रवर्धन किया जाए।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रशिक्षित है—
1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महादेव।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महादेव/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महादेव।
3. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महादेव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
7. समस्त जिला कालेक्टर, राज।
8. समस्त सुरक्षा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जन. राज।
9. समस्त, प्रभाना अधिकारी एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेजेज, राज।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज।
11. समस्त प्रभात चिकित्सा अधिकारी, राज।
12. विशिष्ट पत्रकार।

(अनिल कुमार कौशिक)
शासन उप सचिव